सं. 16/17/2014-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 14 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय/विभागों द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को राजभाषा विभाग को सौंपे जाने के संबंध में ।

*****

प्राय: देखा गया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाओं को राजभाषा विभाग को सौप (सरेंडर) देते हैं। ज्यादातर मामलों में इसका कारण कार्य निष्पादन का अभाव या कर्तव्य पालन में शिथिलता बताया जाता है ।

2. राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को इस तरह कार्य निष्पादन में कमी या कार्य निष्पादन न कर पाने के आधार पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए सरेंडर करने से उक्त अधिकारी की छवि धूमिल होती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाय। अप्रत्याशित सरेंडर से राजभाषा विभाग द्वारा संवर्ग नियंत्रण करने समस्या आती है। राजभाषा विभाग के दिनांक 30.12.1983 के आदेश के तहत राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक, स्थापना एवं वेतन निर्धारण इत्यादि मामलों पर कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालय/विभागों को प्राधिकृत किया गया है जहां इनकी तैनाती होती है। ऐसी स्थिति में ऐसे अधिकारी जो सरेंडर होकर आते हैं, को दूसरे मंत्रालय/विभाग में तैनात किए जाने की अवधि तक उनके वेतन के भुगतान में कठिनाई आती है।

3. कार्य निष्पादन में कमी/कार्य निष्पादन न कर पाने के आधार पर किसी अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में केवल स्थानांतरित करने से बुनियादी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है तथा सरेंडर करना समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई अधिकारी ठीक से कार्य निष्पादन नहीं कर रहा है या अपने कर्तव्यपालन में शिथिल है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के तहत आचरण नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाए और उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (Performance appraisals) किये जाने के समय इस शिथिलता का उल्लेख किया जाए ।

4. अत: मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी/ कर्मचारी से यदि मंत्रालय/विभाग उसके कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो उसके विरूद्ध प्रासंगिक नियमावली के तहत कार्रवाई करें और यदि किसी स्तर पर ऐसा प्रतीत हो कि उसे विभाग से बाहर स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है तो राजभाषा विभाग को पूर्ण तथ्यों सहित प्रस्ताव भेजा जाए। यदि उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद कोई मंत्रालय/विभाग किसी अधिकारी को उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना एक तरफा कार्रवाई करते हुए सरेंडर करता है तो माना जाएगा कि उन्हें उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। संबंधित मंत्रालय को ऐसे सरेंडर अधिकारी के विरूद्ध एवजी (रिप्लेसमेंट) उपलब्ध होने पर ही दिया जाएगा ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

(ए. के. सिंह)
निदेशक
दूरभाष: 23438126

प्रति सभी मंत्रालय/विभाग ।